रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 19] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 1999/चैत्र 3, 1921
No. 19] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 1999/CHAITRA 3, 1921

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1999

सं. 5-5/98-टीआरएआई (ए व आर).—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा 1 के खण्ड (एफ) के साथ पठित धारा 36 की उपधारा 2 के खण्ड (पी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्रस्तुत सेवा शुल्क उगाही, याचिकाएं, विविध अनुप्रयोग और निर्णयों की प्रति) विनियम, 1999।

भाग-I

नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (i) इस विनियामक को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्रस्तुत सेवा शुल्क, याचिकाएं, विविध अनुप्रयोग और निर्णयों की प्रमाणित प्रति जारी करना) विनियम, 1999 कहा जाएगा।

(ii) इस विनियम में याचिकाएं दाखिल करने पर प्रस्तुत सेवा पर लिए जाने वाले शुल्क की उगाही, विविध अनुप्रयोग और निर्णयों की प्रमाणित प्रति जारी करने की व्यवस्था है।

(iii) यह विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

भाग-II
परिभाषाएं

2. इस विनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 अभिप्रेत है।

(ख) "प्राधिकरण" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(ग) "याचिकादाता" का अभिप्राय उस व्यक्ति, सेवा प्रदाता अथवा ग्राहकों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले उस व्यक्ति से है जो अधिनियम के तहत मामलों के बारे में आवेदन अथवा याचिका प्रस्तुत करे।

(घ) इस आदेश में प्रयुक्त उन शब्दों और पदों, जो यहां परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ है जो क्रमशः उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

भाग-III
सामान्य

3. संशोधन एवं विलोपन: प्राधिकरण समय-समय पर इस विनियम में पूर्णतया अथवा भाग में आशोधन, संशोधन अथवा विलोपन कर सकता है।

4. इस विनियम के किसी प्रावधान की व्याख्या में विवाद के पैदा होने की स्थिति में, प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

भाग-IV
शुल्क की वसूली

5. प्राधिकरण याचिकाओं और आवेदनों पर निम्नलिखित दरों पर शुल्क वसूल करेगा:

(i) याचिका दाखिल करना .....5,000/-रु. (पांच हजार रुपये)

(ii) विविध आवेदन दाखिल करना .....1,000/-रु. (एक हजार रुपये)

(iii) प्राधिकरण के किसी आदेश की प्रमाणित प्रति जारी करने का शुल्क .....3/-रु. (तीन रुपये) प्रति पृष्ठ।

(iv) प्राधिकरण अपने से मांगी गई किसी विशेष सेवा के लिए शुल्क का निर्धारण मामला-दर-मामला आधार पर करेगा।

(v) इस प्रकार निर्धारित शुल्क की सूचना संबंधित पार्टी को प्राधिकरण द्वारा ऐसी सेवा प्रदान करने का कार्य शुरू करने से पूर्व दी जाएगी।

6. तथापि, याचिका पर सुनवाई करने के लिए गठित खण्डपीठ अपने विवेक से याचिका दाखिल करने अथवा विविध आवेदन प्रस्तुत करने के लिए देय शुल्क को कम अथवा माफ कर सकता है।

[सं. विज्ञापन/3/4/असाधारण/142/98]

राकेश कपूर, संयुक्त सचिव

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 1999

No. 5-5/98-TRAI (A & R).—In exercise of the powers conferred upon it under Clause (f) of sub-section 2 of Section 36 read with Clause (P) of Sub-section 1 of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Authority hereby makes the following regulation :

The TRAI (Levy of Fees on services rendered, Petitions, Miscellaneous applications and copy of Judgements) Regulations, 1999

Section I

Title, extent and commencement

1. (i) This Regulation shall be called the TRAI (Levy of fees on service rendered, Petitions, Miscellaneous applications and copy of Judgements) Regulation, 1999.

(ii) This regulation shall cover the levy of fees to be charged on service rendered on filing of petitions, miscellaneous applications and for the issue of certified copy of judgements.

(iii) This Regulation shall come into effect from the date of its publication in the Gazette of India.

Section II

Definition

2. In this regulation, unless the context otherwise required,

(a) 'Act' means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

(b) 'Authority' means the Telecom Regulatory Authority of India.

(c) 'Petitioner' means any person, service provider or any member representing a group of consumers making an application or petition in respect of matters under the Act.

(d) Words and expressions used in this order and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

Section III

General

3. Amendment and annulment : The Authority may, from time to time modify, amend or annul this Regulation either in whole or in part.

4. In the event of any dispute regarding interpretation of any provisions of this regulation, the decision of the Authority shall be final.

Section IV

Levy of Fees

5. The Authority shall levy charges as fee on petitions and applications at the following rates :

(i) Filing of Petition	..	Rs. 5,000/- (Rupees five thousand)
(ii) Filing of Miscellaneous application	..	Rs. 1,000/- (Rupees one thousand)
(iii) The Fee for issue of certified copy of any order of the Authority.	..	Rs. 3/- (Rupees three) (per page)

(iv) Authority shall determine the fee for a particular service sought from it on a case to case basis.

(v) The fee, so determined, will be intimated to the concerned party before the Authority takes up the task of providing such a service.

6. The bench, constituted for hearing a petition may, however, at its discretion, either reduce or waive the fee payable for filing of a Petition or a Miscellaneous application.

[No. Advt/III/IV/Exty/142/98]

RAKESH KAPUR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1999

सं. 5-5/98-टीआरएआई (ए व आर).—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 8 के साथ पठित धारा 36 की उपधारा 2 के खण्ड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण-कारबार के संव्यवहार विनियम, 1999 की बैठकें

भाग-I

नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (i) इस विनियामक को टी आर ए आई की कारबार के संव्यवहार बैठक विनियम, 1999 कहा जाएगा।

(ii) इस विनियम में टी आर ए आई अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के अंतर्गत आयोजित प्राधिकरण की बैठकों के समय, स्थान तथा उनमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के साथ-साथ कारबार के संव्यवहार के लिए अनिवार्य गणपूर्ति का प्रावधान होगा।

(iii) यह विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

भाग-II
परिभाषाएं

2. इस विनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 अभिप्रेत है।

(ख) ''प्राधिकरण'' से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(ग) ''सचिव'' से सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और सचिव के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।

(घ) इस आदेश में प्रयुक्त उन शब्दों और पदों, जो यहां परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ है जो क्रमश: उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

भाग-III
सामान्य

3. संशोधन एवं विलोपन: प्राधिकरण समय-समय पर इस विनियम में पूर्णतया अथवा भाग में आशोधन, संशोधन अथवा विलोपन कर सकता है।

4. व्याख्या : इस कानून के किसी प्रावधान की व्याख्या में किसी विवाद के पैदा होने की स्थिति में, प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

भाग-IV
कारबार के संव्यवहार के लिए बैठकें तथा उनमें अपनाई जाने वाला प्रक्रिया

5. प्राधिकरण की बैठकें सामान्यतया उसके मुख्यालय में आयोजित की जाएंगी। जब कभी परिस्थितिवश किसी बैठक को दिल्ली स्थित मुख्यालय के अलावा अन्यत्र समीचीन समझा गया, तो प्राधिकरण इस बैठक को भारत के किसी भी स्थान पर आयोजित कर सकता है। स्थान और समय का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

6. कारबार के संव्यवहार की बैठक महीने में एक बार आयोजित की जाएगी।

7. (क) बैठक का कार्यवृत्त अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाएगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के अनुमोदन से।

(ख) बैठक की कार्य-सूची सामान्तया सचिव द्वारा सात दिन पहले परिचालित की जाएगी।

8. अध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। यदि किसी कारणवश, अध्यक्ष बैठक में भाग लेने में असमर्थ हो, तो उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो, तो फिर बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई भी दूसरा सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

9. कारबार के संव्यवहार की बैठक के लिए 3 सदस्यों की गणपूर्ति अनिवार्य होगी।

10. (i) बैठक में प्राधिकरण के निर्णय के लिए जो भी मदें पेश की जाएंगी, उन पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान द्वारा निर्णय लिया जाएगा और बराबर मत मिलने की स्थिति में, अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत अंतिम निर्णायक होगा।

(ii) यदि कोई सदस्य चाहे, तो वह बैठक के कार्यवृत्त के भाग के रूप में अपना भिन्न विचार रिकार्ड करवा सकता है।

11. बैठक की कार्यसूची में पहले से सम्मिलित न की गई किसी भी मद पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि इसके लिए बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

12. प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता, जो मामले के गुणावगुणों को प्रभावित न करती हो, के कारण मात्र से, प्राधिकरण का कोई कार्य अथवा कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

13. सचिव, बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगा और अध्यक्ष से अनुमोदन करवाने के पश्चात् उन्हें बैठक में उपस्थित सदस्यों में परिचालित करेगा। बैठक के कार्यवृत्त को एक विशेष वित्तीय वर्ष (अर्थात् 7/98-99) के लिए निरंतर एक क्रम संख्या दी जाएगी। सचिव, प्राधिकरण के निर्णय के संबंधित उद्धरणों को अनुवर्ती कार्यवाही के लिए, सभी संबंधितों को भेजेगा तथा एक उपयुक्त रिपोर्टिंग तैयार करके, उनके अनुपालन पर नजर रखेगा। अनुवर्ती कार्यवाही/कार्यवाहियों पर आवधिक रिपोर्टें प्राधिकरण को सूचनार्थ प्रस्तुत की जाएंगी।

14. अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, बिना पूर्व सूचना के, किसी मद जिस पर उसके विचार में तुरंत निर्णय लेना जरूरी है, पर विचार करने के लिए, किसी समय अथवा स्थान में एक असाधारण बैठक बुला सकता है।

15. (i) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के अनुमोदन पर किसी मामले पर फाइल में परिचालित करके निर्णय लिया जा सकता है।

(ii) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का यह निर्णय अंतिम माना जाएगा कि किसी मद पर निर्णय प्राधिकरण की बैठक में लिया जाए अथवा संबंधित फाइल को परिचालित करके।

(16) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन पर किसी भी व्यक्ति को सलाह/परामर्श के लिए बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

[सं. विज्ञापन/3/4/असाधारण/142/98]

राकेश कपूर, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 1999

No. 5-5/98-TRAI (A & R).—In exercise of the powers conferred upon it under Clause (a) of Sub-section 2 of Section 36 read with Section 8 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Authority hereby makes the following regulation :

The TRAI Meetings for Transaction of Business Regulation, 1999

Section I

Title, extent and commencement

1. (i) This Regulation shall be called the TRAI 'Meetings for Transaction of business' Regulation, 1999.

(ii) This regulation shall provide for the time, place and the procedure to be followed at the meetings of the Authority held under sub-section (1) of Section 8 of TRAI Act, including quorum necessary for the transaction of business.

(iii) This Regulation shall come into effect from the date of its publication in the Gazette of India.

Section II

Definition

2. In this regulation, unless the context otherwise requires,

(a) 'Act' means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

(b) 'Authority' means the Telecom Regulatory Authority of India.

(c) 'Secretary' means the Secretary, Telecom Regulatory Authority of India and includes a person acting for the Secretary.

(d) Words and expressions used in this order and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

Section III

General

3. Amendment and Annulment : The Authority may, from time to time modify, amend, or annul this Regulation either in whole or in part.

4. Interpretation : In the event of any dispute regarding interpretation of any provisions of this legislation, the decision of the Authority shall be final and binding.

Section IV

Meetings for transaction of Business and Procedure to be followed

5. The meetings of the Authority shall normally be held at its head office. Whenever circumstances render it expedient to hold a meeting elsewhere than in the Head office at Delhi, the Authority may do so at any other palce in India. The place and timing shall be decided by the Chairperson.

6. The meeting for transaction of business shall be held at least once a month.

7. (a) The agenda for the meeting shall be issued with the approval of the Chairperson and in his absence by Vice-Chairperson.

(b) The Agenda for the meeting shall be normally circulated seven days in advance by the Secretary.

8. The meeting shall be presided over by the Chairperson. If, for any reason, the Chairperson is unable to attend a

meeting, the Vice-Chairperson, and in his absence, any other Member chosen by the Members present from amongst themselves at the meeting, shall preside over the meeting.

9. Quorum for transaction of business for a meeting shall be three Members.

10. (i) All items that come up for decision of the Authority at a meeting shall be decided by the majority of the Members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairperson or in his absence the person presiding, shall have a second or casting vote.

(ii) If a Member so desires, he may have his different view recorded as a part of the Minutes of the Meeting.

11. An item not included earlier in the Agenda of a Meeting, may be taken up for consideration, if so approved by the Member presiding over the meeting.

12. No act, or proceedings of the Authority shall be invalid merely by reason of any irregularity in the procedure of the Authority not affecting merits of the case.

13. The Secretary shall prepare Minutes of a Meeting and after obtaining the approval of the Chairperson circulate them amongst the Members present at the meeting. The Minutes of the Meeting shall be given a continuous serial number for a particular financial year (e.g. 7/98-99). The Secretary shall communicate the relevant extracts of the decision of the Authority to all concerned for necessary follow-up action and monitor their compliance by evolving a suitable reproting system. Periodical reports on follow-up action(s) will be submitted for information of the Authority.

14. The Chairperson, and in his absence the Vice-Chairperson, may, without prior notice, convene an extraordinary meeting at any time or place to consider any item, which in his opinion, requires any urgent decision.

15. (i) With the approval of the Chairperson and in his absence by the Vice-Chairperson, an issue may be decided on file by circulation.

(ii) The decision of the Chairperson, and in his absence, the Vice-Chairperson, as to whether an item should be decided in a Meeting of the Authority or by circulation of the relevant file shall be final.

16. Any person, with prior approval of Chairperson or in his absence by the Vice-Chairperson, may be invited to attend the meeting for advice/consultation.

[No. Advt/III/IV/Exty/142/98]

RAKESH KAPUR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1999